न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 95 / 2024

अनवान : –

1. रजाक पुत्र इब्राहिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
2. शरीफ पुत्र इब्राहिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. अख्तर खान पुत्र रफीक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
2. अनिल मोहम्मद पुत्र अनवर जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
3. अब्दुल मजीद पुत्र सफीया जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
4. अब्दुल शकुर पुत्र सफीया जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
5. अयुब पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. अरशद खां पुत्र बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
7. असलम खां पुत्र रफीक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
8. आमना पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
9. आमीन पुत्र सुभान जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
10. आसमीन पुत्री बंशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
11. अरसद पुत्र मोहम्मद आसीम जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
12. आमना पुत्री मोहम्मद आसीम जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
13. ईमरान खां पुत्री रफी मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
14. ईशान मोहम्मद पुत्र नेक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
15. कमला बानो पुत्री नेक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
16. कश्मीर खां पुत्री हबीब जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
17. काशम अली पुत्र फेज मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
18. खातुन पत्नी बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
19. गुलाम रसुल पुत्र बली मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
20. कबीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
21. खतिजा पुत्री मोहम्मद हासिम जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
22. जुबेर पुत्र नेक मोहम्मद जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
23. जबार खां पुत्र नेक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
24. ज्योति पत्नी सुरेश कुमार जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
25. जाकर पुत्र इब्राहिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
26. जुसुफ पुत्र इब्राहिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
27. गनी पुत्री सुभान जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
28. जाफरी पत्नी यासीन जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
29. जाकिर हुसैन पुत्र फैज मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
30. तबसुम बानो पुत्री मोहम्मद हासिम जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
31. ताहिरा पुत्री मोहम्मद हासिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
32. नसीब खां पुत्र बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
33. नसीरा पत्नी बली मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
34. नजीर पुत्र कमरू उर्फ कमरदीन जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
35. नवाब पुत्र खलील जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
36. फीयम पुत्र रफीक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
37. नानू बानो पत्नी नेक [illegible] साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
38. बादु देवी पत्नी इब्राहिम जाति क[illegible] सा[illegible]न 14 बारानी तहसील नोहर।
39. नाथी पुत्री नजीर जाति कलाल साकिन [illegible] बारानी तहसील नोहर।
40. निकूराम पुत्र कमरू [illegible] 14 बारानी तहसील[illegible]।
41. भंवर खां पुत्र रेशमा जाति कलाल सा[illegible]न 14 बारानी तहसील[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

42. मकबुल पुत्र खलील जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
43. मंगतु पुत्र सुभान जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
44. मदीना पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
45. मनोज कुमार पुत्र देवीलाल जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
46. मैमुना पत्नी रफीक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
47. महबुब अली पुत्र नेक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
48. युनुस पुत्र इब्राहिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
49. यूनुस अली पुत्र श्योकत अली जाति कलाल साकिन 123 एनटीआर तहसील नोहर।
50. युसुफ पुत्र यासीन जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
51. युसुफ अली पुत्र फैज मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
52. युसुफ अली पुत्र नेह मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
53. याकुब पुत्र इब्राहिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
54. याहिया खां पुत्र मोहम्मद हासिम जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
55. युसुफ पुत्र इब्राहित जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
56. रूकसाना पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
57. रफीक पुत्र खलील जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
58. रसीद खां पुत्र बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
59. राकेश पुत्र यासीन जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
60. शकुर पुत्र हबीब जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
61. श्योकत अली पुत्र बली मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
62. श्योकत अली पुत्र सफी जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
63. शेरमोहम्मद पुत्र बली मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
64. सुआलिया पुत्री मोहम्मद हासिम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
65. सदाम पुत्र हाकम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
66. सुमन पुत्री बशीर खां जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
67. समसु खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
68. समुसुदीन पुत्र हबीब जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
69. समीना पुत्री मोहम्मद हासीम जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
70. सलामु पुत्र इब्राहीम जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
71. हाकम अली पुत्र बली मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
72. सलीम पुत्र रफी मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
73. सीमा पुत्री नेक मोहम्मद जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
74. सलीम पुत्र नवाब खां जाति कुम्हार साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
75. सुशील कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
76. सोयबा बानो पुत्री मोहम्मद हासिम जाति मेव साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
77. हरलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर।
78. अदरीश पुत्र नजीर जाति कलाल साकिन 14 बारानी तहसील नोहर।
79. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
80. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

— गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. [illegible] अधिवक्ता **गैरसायल**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:00 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> दिनांक: 02/05/2024

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 16/15 की कुल 2.0470 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 28 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 91/89 की कुल 3.7300 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या संख्या 103/98 की कुल 20.1250 हैक्ट तथा रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 105/101 की कुल 11.3860 हैक्ट वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादग्रस्त भूमि का खाता मुश्तरका है तथा वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण भूमि की काश्त सीमाए तथा अधिकारों के बाबत फरिकेन आपस में तनाजात रहते है जमाबंदी में काफी हिस्सेदार होने के कारण सायलान के साथ सींव ल लगान व काश्त आदि को लेकर विवाद रहता है। इसलिए सायलान वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायलान सायलान की कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 1 बीकेके एवं चक 14 बारानी की कृषि भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये गैरसायलान निर्माण कार्य कर रहे है इसलिए सायलान व गैरसायलान के खिलाफ मौके पर निर्माण एवं रहन बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 220/103 की कुल 18.9550 हैक्ट, खाता संख्या 222/103 की कुल 0.506 हैक्ट, खाता संख्या 219/103 की 0.1580 हैक्ट, खाता संख्या 221/103 की 0.506 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 19, 20, 61, 71 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि पर निर्माण न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7, 13, 14, 17, 19, 23, 28, 29, 32, 38, 43, 46, 47, 50, 51, 56 ता 58, 63, व 71, 72, 61 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की गैरसायलान अपने बंटवारे में मिले हिस्सा अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे है तथा अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल बना रखा है उत्तरदाता अपने परिवार सहित अपनी कृषि भूमि में पहले से बनी हुई कच्ची ढाणियों में निवास कर रहा है। पहले से बनी कच्ची ढाणी को उत्तरदाता पक्की बना रहा है तथा पशुधन के लिए कृषि भूमि से संबंधित औजार व पशुधन रख सकें उक्त कार्य कृषि भूमि में सुधार की श्रेणी में आता है। उत्तरदाता किसी प्रकार का संपरिवर्तन नही कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि का खाता मुश्तरका है तथा वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण भूमि की काश्त सीमाए तथा अधिकारों के बाबत फरिकेन आपस में तनाजात रहते है जमाबंदी में काफी हिस्सेदार होने के कारण सायलान के साथ सींव ल लगान व काश्त आदि को लेकर विवाद रहता है। इसलिए सायलान वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायलान सायलान की कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 बीकेके एवं चक 14 बारानी की कृषि भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये गैरसायलान निर्माण कार्य कर रहे है इसलिए सायलान व गैरसायलान के खिलाफ मौके पर निर्माण एवं रहन बैय की ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की गैरसायलान अपने बंटवारे में मिले हिस्सा अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे है तथा अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल बना रखा है उत्तरदाता अपने परिवार सहित अपनी कृषि भूमि में पहले से बनी हुई कच्ची ढाणियों में निवास कर रहा है। पहले से बनी कच्ची ढाणी को उत्तरदाता पक्की बना रहा है तथा पशुधन के लिए कृषि भूमि से संबंधित औजार व पशुधन रख सकें उक्त कार्य कृषि भूमि में सुधार की श्रेणी में आता है। उत्तरदाता किसी प्रकार का संपरिवर्तन नही कर रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन/अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। वादी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 19, 20, 61, 71 द्वारा बिना विभाजन करवाये मुश्तरका खाता की भूमि में बिना संपरिवर्तन करवायें निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः जब तक वाद में उभयपक्षों का खाता व लगान अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि में रहन, बैय व किसी प्रकार का परिवर्तन/निर्माण उभयपक्षों के द्वारा नही करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है लेकिन उभयपक्षो की रिकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 220/103 की कुल 18.9550 हैक्ट, खाता संख्या 222/103 की कुल 0.506 हैक्ट, खाता संख्या 219/103 की 0.1580 हैक्ट, खाता संख्या 221/103 की 0.506 हैक्ट भूमि में सायल /गैरसायल संख्या 19 ,20 ,61 ,71 को पाबन्द किया जाता हे कि प्रश्नगत भूमि में संपरिवर्तन करवाये बिनां निर्माण कार्य करने से निषेद रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर